

4/12/19

पत्रावली पेश हुई न्यायालय समक्ष  
कार-कार प्रमाण लगावाई गई परन्तु  
वदी व उसके अधिवक्ता कोई उपाय  
नहीं है। लिहाज प्रमाण अद्वय पेशी  
अद्वय हाजरी में खारीज किया जा रहा है  
पत्रावली फौजदारी शुकाट हो कर नब्ब  
से संपन्न मिर्जापुर जिले न्यायालय  
में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़  
जिला-राजसमन्त

758  
कुम्भलगढ़  
राजसमन्त

राजसमन्त  
कुम्भलगढ़  
81-8-68

